

समिति जिला- सक्ती (छ.ग.)

क्र. / 4050 / सेजेस संविदा भर्ती / नियुक्ति / 2022-23

सक्ती, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

—:: आदेश ::—

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश एफ 23-08/2020/20-दो/75 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 24/06/2022 के अनुसार जिले के अंतर्गत स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अड़भार में सृजित पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कोडिका 4 में उल्लेखित पद पर शासन द्वारा घोषित एकमुश्त मानदेय पर (अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे) अधिरोपित शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	चयनित संवर्ग	पता	एकमुश्त देय वेतन
2	3	4	5	6	7
PRIYA GAVEL	JHASENDRA KUMAR GAVEL	व्याख्याता गणित	अना. मुक्त	VILL. DONGIYA P.O. SILOUNI JAJAIPUR	38100

नियम एवं शर्तें :-

- उपरोक्त पदांकित अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थापना स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अड़भार, जिला सक्ती (छ.ग.) में दिनांक 12/11/2022 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
- नियुक्त सभी अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के प्रावधानों के अधीन होंगे एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
- नियुक्त अभ्यर्थी पूर्ण रूप से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति अड़भार के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जा रही है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र) में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती हैं तो सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित की सेवा 1 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन किया गया है।
- यदि किसी भी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा उसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पायी जाती है तो वह बिना किसी पूर्व

प्रति